

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

**फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के 04 अभियुक्त गिरफ्तार
(A.R.T.O द्वारा दाखिल वाहन का रिलीज कराने वाले गिरोह)**

A.R.T.O संतोष सिंह जनपद आजमगढ़ द्वारा तीन वाहनों ट्रक नम्बर क्रमशः 1- UP60AT2173 ,2- UP61AT2156 ,3-UP54T7675 दिनांक 27.2.21 को सीज कर थाना सिधारी में दाखिल किया गया था। दिनांक 13.3.21 को ट्रक संख्या UP61AT 2156 , UP60 AT 2173 व ट्रक संख्या UP54 T 7675 को कूटरचित फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर जिस पर एआरटीओ प्रभारी आजमगढ़ के हस्ताक्षर व मुहर लगाकर थाना स्थानीय से रिलीज कराकर ट्रक लेकर भाग गये थे। बाद में ज्ञात हुआ कि जो गाड़ी अवमुक्त होकर चली गयी है वह कागजात अवमुक्त आदेश फर्जी है। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 55/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि बनाम 1. संतोष तिवारी पुत्र बृजबिहारी तिवारी सा0 घोरठ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ आदि 10 नफर व अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर। ट्रक की बरामदगी व कूटरचित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर जल्द से गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे फर्जी तरीके से दस्तावेज कूटरचित कर अपराध करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अवैध शराब माफियों की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय मय उ0नि0 बंशराज सिंह चौकी प्रभारी मुसेपुर मय हमराही के साथ खाना होकर RTO कार्यालय पर मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि जो दिनांक 13.3.21 को ट्रक संख्या UP61AT 2156 , UP60 AT 2173 व ट्रक संख्या UP54 T 7675 को कूटरचित फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर थाना स्थानीय से रिलीज कराकर ट्रक लेकर भाग गये थे वह गाजीपुर से छतवारा होते हुए बैतौली से होकर टांडा जायेगे। क्षेत्र में भ्रमणशील द्वितीय वाहन सरकारी पर उ0नि0 रामबहादुर यादव मय हमराह को मुखबिरी से अवगत कराते हुए बैतौली तिराहे पर पहुँचने हेतु बताया गया हमराह हे0का0 सत्येन्द्र सिंह के बैतौली तिराहे पर पहुँचने हेतु बताया कि SI रामबहादुर यादव मय फोर्स के मौजूद थे कि सड़क पर गाजीपुर से आने वाले ट्रक का इन्तजार किया जाने लगा कि थोड़ी देर बाद 03 ट्रक आते हुए दिखायी दिए। नजदीक आने पर ट्रक पर लगे नम्बर प्लेट से वाहन का पहचान कर लिया गया। पुलिस टीम एक बारगी सड़क पर आकर रोकने का इ शारा किया गया तो ट्रक चालको ने ट्रक का एका-एक ब्रेक लगाकर ट्रक से कूदना चाहे कि ट्रक संख्या UP60 AT 2173, UP61AT 2156 के चालक को घेरकर सड़क पर ट्रक से पकड़ लिया गया तथा ट्रक संख्या UP54 T 7675 के चालक ट्रक से कूदकर भाग गया। ट्रक संख्या UP60 AT 2173 के चालक का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम संजय कुमार यादव पुत्र रामनारायण यादव नि0 ग्राम पहाड़ीपुर थाना मोहम्मदपुर युसुफपुर जनपद गाजीपुर व ट्रक संख्या UP61AT 2156 के चालक का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम इस्माइल अहमद S/O सफीक अहमद नि0 ग्राम हरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ बताये जिनको दिनांक 25.03.2021 को समय 8.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा 1. महेश पुत्र धनई यादव सा0 सरफुद्दीनपुर थाना सिधारी आजमगढ़ व 2. सन्तोष तिवारी पुत्र बृजबिहारी नि0 ग्राम घोरठ थाना सिधारी आजमगढ़ को ARTO कार्यालय के बाहर से दिनांक 25.03.2021 को समय 13.18 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तगण के पास से दो अदद लैपटाप , दो अदद लैपटाप चार्जर, एक अदद मोहर रबर बरामद कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- 1. चालक संजय वाहन संख्या यू0पी0 60 ए0टी0 2173 (ट्रक) व 2- चालक इस्माइल वाहन संख्या यू0पी0 61 ए0टी0 2156 3. महेश पुत्र धनई 4. सन्तोष तिवारी पुत्र बृजबिहारी से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताए कि साहब हम लोगो कि गाड़ी को दिनांक 27.2.21 को ARTO आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर लाकर सीज कर दिया गया था उस समय हम लोग टांडा से गाजीपुर की तरफ जा रहे थे तभी पकड़े गए थे , नरौली पर दिनांक 13.3.21 को हम लोगो का मालिक आए और कहे कि चलो ARTO आफिस किसी तरह गाड़ी को रिलीज कराया जाय , हम लोग अपने-2 मालिक के साथ ARTO आया , ARTO कार्यालय के बाहर सन्तोष तिवारी व महेश यादव ,

उमाचरण उर्फ बड़क व मुन्नू यादव मिले बताए कि हम लोग तुरन्त गाड़ी को रिलीज करा देगे , फर्जी आदेश तैयार कर थाने पर आकर गाड़ी को रिलीज कराकर चले गए साहब आप लोग पकड़ लिए , जो सही बात थी आपको बता दिए , लोभ लालच में आकर गलती कर दिया गया है, माफ कर दीजिए ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. चालक इस्माइल अहमद S/O सफीक अहमद नि0 ग्राम हरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ वाहन संख्या यू0पी0 61 ए0टी0 2156
2. चालक संजय कुमार यादव पुत्र रामनरायण यादव नि0 ग्राम पहाड़ीपुर थाना मोहम्मदपुर वाहन संख्या युसुफपुर जनपद गाजीपुर वाहन संख्या यू0पी0 60 ए0टी0 2173 (ट्रक)
3. महेश पुत्र धनई यादव सा0 सरफुद्दीनपुर थाना सिधारी आजमगढ़
4. सन्तोष तिवारी पुत्र बृजबिहारी नि0 ग्राम घोरठ थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी

1. तीन अदद ट्रक क्रमशः- वाहन संख्या यू0पी0 60 ए0टी0 2173 (ट्रक), वाहन संख्या यू0पी0 61 ए0टी0 2156 (ट्रक) वाहन संख्या यू0पी0 54 टी0 7675 (ट्रक)
2. दो अदद लैपटाप
3. दो अदद लैपटाप चार्जर
4. एक अदद मोहर रबर

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 55/21 419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़
2. निरीक्षक अपराध विजय प्रताप सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 बंशराज सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
4. उ0नि0 रामबहादुर यादव थाना सिधारी आजमगढ़
5. उ0नि0 हरिश्चंद्र प्रसाद थाना सिधारी आजमगढ़
6. उ0नि0 जाफर खान थाना सिधारी आजमगढ़
7. हे0का0 सत्येन्द्र नारायण सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
8. हे0का0 रामलखन थाना सिधारी आजमगढ़
9. हे0का0 सन्तोष यादव थाना सिधारी आजमगढ़
10. का0 अमानत अली थाना सिधारी आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

शीशी अवैध शराब 40 बोरी में 02 के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अवैध शराब अभियान में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर के कुशल निर्देशन में आज दि 25 0.03. कैलाश सिंह यादव थाना कन्धरापुर 0नि0उ0 को व 2021 आजमगढ़ मय ईगल मोबाइल कर्म 0 गण हे0का अनिल पाण्डेय के 0 शैलेन्द्र यादव व का 0 द्वारा समय 10. 20बजे विसौली तिराहा बफासला करीब किमी दक्षिण 05 से 1 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 02. दिलशेर यादव S/O छावेनाथ यादव उम्र वर्ष 35R/O विसौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब वर्ष 35 2. सनोज कुमार S/O रामजतन उम्र वर्ष 20R/O खुतौली वीवीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब वर्ष 20 को मय बोरी में 02 शीशी 19 शीशी तथा दूसरी बोरा में 21 शीशी अवैध शराब एक बोरी में 40 के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु33 0सं0अ0/ 60 धारा 2021EX ACT बनाम दिलशेर यादव S/O छावेनाथ यादव उम्र वर्ष 35R/O विसौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ तथा मु 34 0सं0अ0/ 60 धारा 2021 EX ACT बनाम सनोज कुमार S/O रामजतन उम्र वर्ष 20R/O खुतौली वीवीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. दिलशेर यादव S/O छावेनाथ यादव उम्र वर्ष 35R/O विसौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।
2. सनोज कुमार S/O रामजतन उम्र वर्ष 20R/O खुतौली वीवीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी-

शीशी अभियुक्तगण के कब्जे से 19 शीशी तथा दूसरी बोरा में 21 शीशी अवैध शराब एक बोरी में 40 बोरी में 02 बरामद होना

पंजीकृत अभियोग

1. मु33 0सं0अ0/ 60 धारा 2021EX ACT बनाम दिलशेर यादव S/O छावेनाथ यादव उम्र वर्ष 35R/O विसौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
2. मु34 0सं0अ0/ 60 धारा 2021EX ACT बनाम सनोज कुमार S/O रामजतन उम्र वर्ष 20R/O खुतौली वीवीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. वकैलाश सिंह यादव थाना कन्धरापुर 0नि0उ0, आजमगढ़
2. ईगल मोबाइल कर्मअनिल 0शैलेन्द्र यादव व का 0का0गण हे0 पाण्डेय थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थानो द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 28 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।